उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार ।

विज्ञापन संख्या–03/डी0आर0/एस–2/2011–12

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि –01 अक्टूबर, 2011

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि–31 अक्टूबर, 2011

श्रेणी–'ख' एवं 'ग' के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन परीक्षा–2011

विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट-**www.ukpsc.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

अति महत्वपूर्ण निर्देशः–

1– ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों को भरने से पहले अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को अवश्य पढे तथा निर्देशों के अनुरूप ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र को भरे।

2– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के सायं 6.00 बजे तक** आवश्यक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं वांछित अनुभव (यदि लागू हो) आदि अवश्य धारित करते हों। **अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।**

3– अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरे।

4– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–13 व 14** में अवश्य करें तथा तत्सम्बन्धी वृत्त में अंकन काले अथवा नीले बॉल प्वाइंट पेन से करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या– 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

5– अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार के प्रयोग हेतु, अपने पास सुरक्षित रखें तथा प्रश्नगत परीक्षा के सम्बंध में भविष्य में होने वाले पत्राचार में **ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य करें।** ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में प्रदान की गयी सूचनाओं में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है और न ही इस सम्बंध में कोई अनुरोध स्वीकार किया जायेगा।

6– इस विज्ञापन में उल्लिखित पद यदि पूर्व में आयोग के किसी विज्ञापन द्वारा विज्ञापित हुए हो तो उसे निरस्त माना जाये एवं वर्तमान विज्ञापन के क्रम में मानक के अनुरूप पुनः आवेदन पत्र भेजा जाये।

7– अभ्यर्थी यह सूनिश्चित कर ले कि विज्ञापित पदों में से श्रेणी 'ग' पद हेतु उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक तथा वैधता की अवधि में होना अनिवार्य है।

नोट– **(क) शासनादेश संख्या 1270/XXX(2)/2010, दिनांक 02 सितम्बर, 2010 द्वारा प्राविधान किया गया है कि समूह 'ग' की सीधी भर्ती के पदों पर (विज्ञापित पदों में से क्रम सं0–04 से 08 तक) भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगें जिनका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।** परन्तु शासन के पत्रांक 1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु समूह 'ग' के पद हेतु आवेदन करने के इच्छुक है और आयोग के अधीन समूह 'ग' के प्रतियोगितात्मक परीक्षा देना चाहते है, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।" **ऐसे अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के मद संख्या 19** से सम्बंधित वृत्त में अंकन अवश्य करें।

(ख) शासनादेश संख्या–1082/XXX(2)/2010–3(1)/2010 दिनांक 03 अगस्त, 2010 के अनुसार लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह 'ग' के पदों पर चयन के संबन्ध में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

1. प्रधानाचार्य –श्रेणी 'ख' (समाज कल्याण विभाग)

(i) **विभाग संख्या** – सेवा–02/01

(ii) **पदों की संख्या** – 01 पद (उत्तराखण्ड सामान्य महिला हेतु आरक्षित)।

(iii) **वेतनमान** – रु0 9300– 34800 – ग्रेड पे0–4800

(iv) **पद का स्वरुप** – राजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी भविष्य निधि योजना से युक्त।

शैक्षिक एव अधिमानी अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –

1. **एक** :– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या

   दो– विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो, या घोषित किया गया हो, या

   तीन– केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि।

2. बी0एड0 या एल0टी0

3. राजकीय हाई स्कूल या, राजकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट विद्यालय में कम से कम 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

आयु सीमा :– 21 से 35 वर्ष अर्थात् अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2011 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात् उनका जन्म 01 जुलाई, 01.07.1990 के बाद तथा 02 जुलाई, 1976 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

2. अधीक्षक –श्रेणी 'ख' (समाज कल्याण विभाग)

(i) **विभाग संख्या** – सेवा–02/02

(ii) **पदों की संख्या** – 01 पद (उत्तराखण्ड सामान्य महिला हेतु आरक्षित)।

(iii) **वेतनमान** – रु0 9300– 34800 – ग्रेड पे0–4200

(iv) **पद का स्वरुप** – राजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी भविष्य निधि योजना से युक्त।

शैक्षिक अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –

01. **एक** :– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या

   दो– विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो, या घोषित किया गया हो, या

   तीन– केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि।

02. बी0एड0 या एल0टी0।

आयु सीमा :– 21 से 35 वर्ष अर्थात् अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2011 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात् उनका जन्म 01 जुलाई, 1990 के बाद तथा 02 जुलाई, 1976 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

3. व्यवस्थाधिकारी –श्रेणी 'ख' (राज्य सम्पत्ति विभाग)

(i) **विभाग संख्या** – सेवा–02/03

(ii) **पदों की संख्या** –02 पद (जिसमें 01 पद उत्तराखण्ड सामान्य महिला हेतु आरक्षित है)।

(iii) **वेतनमान** – रु0 9300– 34800, ग्रेड पे0–4200

(iv) **पद का स्वरुप** –राजपत्रित, स्थायी, निरन्तर चलते रहने की संभावना एवं अंशदायी पेंशन योजना युक्त है।

(v) **शैक्षिक एव अधिमानी अर्हतायें–**

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –(1) भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिए, और (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए।

ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसे सरकारी या निजी अधिष्ठान द्वारा चलायी जाने वाली किसी कैन्टीन में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।

(ख) अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

1. प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।